मुख्यमंत्री राजश्री योजना

राजस्थान मुख्यमंत्री राजश्री योजना के उद्देश्य

- इस योजना के तहत एक जून या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिका के जन्म पर एवं उसकी प्रथम वर्षगांठ पर **2500 रुपए** तथा राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर चार हजार रुपए दिए जाएंगे।
- योजनान्तर्गत लाभान्वित होने वाली बालिकाओं को शिक्षा निरन्तर जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एवं बालिका के शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए राजकीय विद्यालय में कक्षा 6 प्रवेश करने पर पांच हजार रुपए और **कक्षा 10 में 11 हजार रुपए दिए जाएंगे।**
- योजना के तहत राजकीय विद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं को 25 हजार रुपए दिए जाएंगे।
- इस **तरह जन्म से लेकर 12वीं कक्षा उतीर्ण करने पर बालिकाओं को राज्य सरकार की ओर से विभिन्न चरणों में 50 हजार रुपए दिए जाएंगे।**
- इस योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए योजना को भामाशाह कार्ड से भी जोड़ा जाएगा।
- इस योजनान्तर्गत एक जून या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं ही योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगी तथा प्रथम किश्त का लाभ लेने पर ही अन्य उत्तरवर्ती किश्तो का लाभ देय होगा।
- योजनान्तर्गत **प्रथम दो किश्तों का भुगतान चिकित्साए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** की ओर से जननी सुरक्षा योजना के अनुसार ही किया जाएगा।
- शेष चार किश्तों का भुगतान निदेशालय महिला अधिकारिता की ओर से किया जाएगा।

बेटी जन्म पर मुख्यमंत्री राजश्री योजना लाभ

- **1 जून से जन्मी बच्चियों को मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत् चैक के द्वारा माता के नाम प्रथम किश्त 2500 रुपये की संबंधित चिकित्सा केन्द्र द्वारा दी जायेगी।**
- बालिका की आयु 1 वर्ष होने व सम्पूर्ण टीकाकरण होने **पश्चात् 2500 रुपये की द्वितीय किश्त भी चैक द्वारा** ममता कार्ड के आधार पर जारी की जायेगी।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लिए पात्रता

- राजश्री योजना की पहली दो किश्त उन सभी बालिकाओं को मिलेगी जिनका जन्म किसी सरकारी अस्पताल एवं जननी सुरक्षा योजना (जे.एस.वाई.) **से रजिस्टर्ड निजी चिकित्सा संस्थानों में हुआ हो। ये दोनों किश्त उनके अभिभावकों को तब भी मिलेगी जिनके तीसरी संतान बालिका हो, किंतु योजना में आगे की किश्तों का लाभ उन्हें नहीं मिल पायेगा।**
- अब राजश्री योजना का लाभ लाभार्थी को सीधा अपने बैंक खाते में मिले, इसके लिए भामाशाह कार्ड से योजना को जोड़ा गया है।
- अब राजश्री योजना का लाभ सुविधापूर्वक अपने खाते में प्राप्त करने के लिए भामाशाह कार्ड जरूर बनवायें। योजना के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए अपने जिले में कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से सम्पर्क करें।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लिए दस्तावेज

1. आधार कार्ड
2. भामाशाह कार्ड
3. आवासीय प्रमाण
4. एक महिला बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
5. पासपोर्ट आकार के फोटो
6. बैंक खाता विवरण

बालिका के अभिवावकों को आर्थिक सहायता

बालिका के जन्म से लेकर कक्षा 12वीं तक बेटी की पढाई, स्वास्थ्य व देखभाल के लिए अभिभावक को 50,000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ये राशि निम्न चरणों में दी जाती है।

- **बेटी के जन्म के समय 2500 रुपये**
- **एक वर्ष का टीकाकरण होने पर 2500 रुपये**
- **पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर 4000 रुपये**
- **कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 5000 रुपये**
- **कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर 11000 रुपये**
- **कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर 25000 रुपये**

मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन

दोस्तों यदि आप मुख्यमंत्री राजश्री योजना में आवेदन करना चाहते हैं **तो यहां पर दिए गए वेबसाइट पर क्लिक करें।**